# आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) – कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू)

# Internal Complaints Committee (ICC) – SHWW

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
## National Scheduled Castes Finance and Development Corporation


(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
(A CPSE of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)
सीआईएनः यू93000डीएल1989एनपीएल034967 CIN: U93000DL1989NPL034967

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
**(An ISO 9001:2008 Certified Company)**
14वीं मंजिल, कोर व 2 1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2, Laxmi Nagar, Delhi-110 092

फोन/ Phone:: 011-22054392/94/96 फैक्स/ Fax : 011-22054349/95
ई-मेल/ E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/ Website: www.nsfdc.nic.in

| | |
|---|---|
| **एनएसएफडीसी में महिला कार्मिकों के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर विचार के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (आईसीसी-एसएचडब्ल्यू) का गठन** | **Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) - SHWW for considering complaints of Sexual Harassment of Women employees at NSFDC** |
| राष्ट्रीय महिला आयोग के 'कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी' विषय पर निर्देशों और विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में 13 अगस्त, 1997 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एनएसएफडीसी ने प्रधान कार्यालय (22 नवंबर, 2000 से) और उसके संपर्क केंद्रों (26.09.2013 से) में कार्यरत महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का विधिवत गठन किया गया था। | In compliance of the instructions of National Commission for Women and guidelines issued for implementation of the directives of Hon'ble Supreme Court Judgement dated 13th August, 1997 in the case of Visakha and others vs. State of Rajasthan and Others on the subject of Sexual Harassment of Women at Workplace, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) had duly constituted Internal Complaint Committee for considering complaints of sexual harassment of women working in the Head Office (since 22 November 2000) and its Liaison Centre's (since 26.09.2013). |
| कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर विचार करने के लिए, एनएसएफडीसी (प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्र) की वर्तमान समिति को 09 जुलाई, 2019 को पुनर्गठित किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति के अधिनियम और नियम, भूमिका, कार्य आदि के संबंध में नीचे दिए गए हैं: | The Present Committee of NSFDC (Head Office and Liaison Centre's) has now been re-constituted on 09th July, 2019 for considering complaints of sexual harassment of women employees at workplace. The provisions with regard to the Act & rules, role, functions etc. of ICC are as given below: |

| क्रम सं. | शीर्षक | विवरण | Sr. No. | Title | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 | डाउनलोड | 1. | Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act and Rule 2013 | Download |
| 2. | कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर पुस्तिका | डाउनलोड | 2. | Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace | Download |
| 3. | संपर्क विवरण सहित एनएसएफडीसी (प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्र) की आंतरिक शिकायत समिति | डाउनलोड | 3. | Composition of Internal Complaints Committee of NSFDC (Head Office and Liaison Centre's) along with Contact details | Download |
| 4. | "लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स)" शीर्षक से ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन तंत्र के संबंध में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 1 नवंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन | डाउनलोड | 4. | DoP&T O.M. dated 01st November, 2017 regarding Online Complaint Management system titled "Sexual Harassment electronic box (SHe-box)" | Download |

| शिकायत प्रक्रिया : | Complaint procedure: |
|---|---|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत लिखित रूप में nsfdc.shwwicc[at]gmail[dot]com पर ई-मेल भेजकर की जा सकती है। अधिनियम में कहा गया है कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी या एलसीसी (यदि मामला नियोक्ता के विरूद्ध हो) को घटना की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर और कई घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर कर सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियमावली, 2013 के अनुसार, यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत नहीं कर पाती है, तो पीड़ित महिला की लिखित सहमति से उसके रिश्तेदार या दोस्त, उसकी सहकर्मी या राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसे घटना का ज्ञान है, द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। | Complaint regarding Sexual Harassment of Women at Workplace can be made either on paper in writing by sending e-mail to nsfdc.shwwicc[at]gmail[dot]com. The Act stipulates that aggrieved woman can make written complaint of sexual harassment at workplace to the ICC or to the LCC (in case a complaint is against the employer), within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident. As per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013, in case the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical incapacity, a complaint may be filed inter alia by her relative or friend or her co-worker or an officer of the National Commission for Woman or State Women's Commission or any person who has knowledge of the incident, with the written consent of the aggrieved woman. |

| | |
|---|---|
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई, 2019 को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। शी-बॉक्स कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों इत्यादि) के किसी भी कार्यालय में जाने या काम करने वाली महिलाओं के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक पहल है। | Ministry of Women & Child Development launched an online complaint management system titled Sexual Harassment electronic -Box (She-Box) on 24th July, 2017 for registering complaints related to Sexual Harassment at workplace. The She-Box is an initiative to provide a platform to the women working or visiting any office of Central Government (Central Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies and Institutions etc.) to file complaints related to Sexual Harassment at workplace under the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. |

| | |
|---|---|
| एक बार शी-बॉक्स में शिकायत दर्ज होने के बाद, इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय इत्यादि के क्षेत्राधिकार में आने वाली आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में शिकायत की पूछताछ के लिए भेजा जाएगा। शी-बॉक्स, आईसीसी द्वारा की गई जांच की प्रगति की निगरानी के लिए शिकायतकर्ता और नोडल प्रशासनिक प्राधिकरण दोनों को एक अवसर प्रदान करता है। | Once a complaint is submitted to She-Box, it will be directly sent to the Internal Complaint Committee (ICC) of the concerned Ministry/ Department/ PSU/ Autonomous Body etc. having jurisdiction to inquire into the complaint. The She-Box also provides an opportunity to both the complainant and nodal administrative authority to monitor the progress of inquiry conducted by the ICCs. |
| शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन तंत्र के लिए यहां क्लिक करें<br>**लिंक http://www.shebox.nic.in**<br><br>एनएसएफडीसी में शिकायत के लिए ई-मेल – nsfdc.shwwicc[at]gmail[dot]com. | **CLICK HERE - SHe-Box – Online Complaint Management System**<br>**Link http://www.shebox.nic.in/**<br><br>For Complaint in NSFDC - E-mail ID - nsfdc.shwwicc[at]gmail[dot]com. |